समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

विवादित भूमि पर दबंगों का जबरन कब्जा, कोर्ट मे मामला लंबित होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू

हरिओम

Published on 29 Dec 2025

[illegible] | [illegible] | [illegible]

मैनपुरी जनपद के थाना बिछवां क्षेत्र अंतर्गत ग्राम **मनिहार बीलों** में विवादित भूमि पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि जमीन से संबंधित विवाद **न्यायालय मे विचाराधीन** होने के बावजूद आरोपी पक्ष खुलेआम निर्माण कार्य कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मनिहार निवासी **इंद्रेश पुत्र काशीराम** ने थाना बिछवां पुलिस और उप जिलाधिकारी भोगांव को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी **गाटा संख्या 1607** की भूमि पर गांव के ही निवासी **हेमराज पुत्र सुम्मेर सिंह (रिटायर्ड फौजी)** दबंगई के बल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उक्त भूमि को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है, जिस कारण लेखपाल द्वारा नापजोख भी नहीं की जा पा रही है।

इसके बावजूद आरोपी पक्ष दिन-रात नींव भरकर दीवार निर्माण का कार्य कर रहा था। जब पीड़ित इंद्रेश कुमार, उनकी मां **ओमवती**, पिता **काशीराम** और पत्नी ने निर्माण कार्य का विरोध किया, तो आरोप है कि उन्हें गाली-गलौज कर मौके से भगा दिया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई।

घटना की सूचना मिलने पर **कस्बा चौकी प्रभारी प्रमोद शर्मा** पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। साथ ही दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने संबंधित दस्तावेज **थानाध्यक्ष बिछवां** और **उप जिलाधिकारी भोगांव** के समक्ष प्रस्तुत करें।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जांच की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो मामला और गंभीर रूप ले सकता था। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव की स्थिति नियंत्रित है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/हरिओम, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.